


राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज 0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.सं.)( )डीएलबी/19/7021

दिनांक: 12-6-2020

आदेश

राज्य सरकारके निर्देशानुसार श्री अशोक जैन, एडवोकेट (एनरोलमेन्ट नं. आर/586/2000) को नगर परिषद भीलवाडा के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में न्यायिक प्रकरणों की पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार नियुक्त किया जाता है। इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर परिषद भीलवाडा से देय होगा। उक्त आदेश पद रिक्त होने पर ही लागू होगा।

  
(उज्ज्वल राठीड़)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)( )डीएलबी/20/7022-7030

दिनांक: 12-6-2020

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग उदयपुर।
05. सभापति/आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाडा।
06. श्री अशोक जैन, एडवोकेट मार्फत, नगर परिषद, भीलवाडा।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

  
(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी